कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष–भू प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

तकनीकी स्वीकृति आदेश

आदेश क्रं./एफ–3/50/2019/10–11/6/07 भोपाल, दिनांक 04/02/2022

भारत सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत दिनांक 08.03.2019 से प्रभावशील गाईड लाईन के अनुसार प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म0प्र0 भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ–3/2019/10–11/03, दिनांक 31.05.2019 से प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत गठित समिति की बैठक आयोजित की गयी। मॉ रतनगढ़ बहुउद्देशीय परियोजना निर्माण में केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान कार्य के परीक्षण उपरांत तकनीकी स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है :–

वनमण्डल का नाम	योजना का नाम	उपचार भूमि हेतु रकबा (वर्ग कि.मी. में)	राशि (लाख मे)
दतिया एवं ग्वालियर	मॉ रतनगढ़ बहुउद्देशीय परियोजना (1248.821 हेक्ट.)	12739.00	2050.00

उक्त तकनीकी स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन रहेंगी :–

1. कार्यपालन यंत्री, हर्सी हाई लेवल नहर संभाग क्रं.–2 डबरा, जिला–ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन के प्रस्तावों पर दी जाती है। यदि प्रस्तावों मे कोई परिवर्तन स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक हो तो अनुमोदन उपरांत कराएं।
2. वनमण्डलाधिकारी, दतिया एवं वनमण्डलाधिकारी, ग्वालियर इस स्वीकृति के अधीन केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान कार्य हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने पर प्राप्त राशि के अंतर्गत ही व्यय करेंगें, केवल तकनीकी स्वीकृति के आधार पर कार्य प्रारंभ न किया जावें। कैम्पा कक्ष द्वारा दिये आवंटन के अनुसार ही कार्य कराया जावें।
3. इस कार्य की उपयोगिता प्राक्कलन अनुसार कार्य के लिये है।
4. कार्य का संपादन तकनीकी स्वीकृति के साथ संलग्न प्राक्कलन एवं मानचित्र में दर्शित तकनीकी मापदण्डों के अनुसार कराया जावें। कार्य के दौरान स्थल की भौगोलिक स्थिति के अनुसार किसी प्रकार के परिवर्तन/संशोधन की आवश्यकता होने पर सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
5. केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान अंतर्गत कार्य हेतु स्थल उपयुक्तता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ही कार्य किया जावें।
6. केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान कार्य की गुणवत्ता पर सतत निगरानी रखी जावें।
7. कोई भी सामग्री क्रय करते समय भण्डार क्रय नियम का पालन करें।
8. कार्य प्रारंभ के पूर्व विस्तृत कार्यवार स्थल अनुरूप डी.पी.आर. तैयार कर कार्य प्रारंभ करावें।

4/2/2022

(सुनील अग्रवाल)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

–2–

पृ. क्रं./एफ–3/50/2019/10–11/6/461 भोपाल, दिनांक 04/02/2022

प्रतिलिपिः–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), सतपुडा भवन, मध्यप्रदेश भोपाल।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा), सतपुडा भवन, मध्यप्रदेश भोपाल।
3. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) ग्वालियर वृत्त ग्वालियर, मध्यप्रदेश।
4. वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल, दतिया, मध्यप्रदेश।
5. वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल, ग्वालियर, मध्यप्रदेश।
6. कार्यपालन यंत्री, हर्सी हाई लेवल नहर संभाग क्रं.–2 डबरा, जिला–ग्वालियर, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

4/2/2022

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल